भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3921
उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026

केरल में इंटरनेट कनेक्टिविटी

3921. **श्री शफी परम्बिल:**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार ने केरल में, विशेष रूप से पर्वतीय, तटीय और ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी की गुणवत्ता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) केरल में पर्याप्त 4जी/5जी कवरेज से वंचित गांवों और बस्तियों का ब्यौरा क्या है;
(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में दूरसंचार अवसंरचना में सुधार के लिए आबंटित और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है; और
(घ) संपूर्ण केरल में विश्वसनीय, वहनीय और उच्च गति वाली डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क): भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) गुणवत्ता सेवा (क्यूओएस) विनियम में यथा निर्धारित विभिन्न सेवा गुणवत्ता (क्यूओएस) पैरामीटर के बेंचमार्क के आधार पर सेवा प्रदाताओं के प्रदर्शन की निगरानी करता है। ट्राई द्वारा जून-2026 माह के लिए प्रकाशित निष्पादन निगरानी रिपोर्ट के अनुसार सभी सेवा प्रदाता (टीएसपी) केरल लाइसेंस सेवा क्षेत्र सहित देश में नेटवर्क से जुड़े पैरामीटर के लिए सभी क्यूओएस बेंचमार्क को पूरा कर रहे हैं।
(ख) वर्तमान में केरल राज्य में सभी 1438 गाँवों में 4जी/5जी मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है।

(ग) केरल में पिछले पांच वित्तीय वर्षों (वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26) के दौरान विभिन्न डीबीएन परियोजनाओं के अंतर्गत 551.35 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है।

(घ) सरकार द्वारा केरल सहित देश में विश्वसनीय, किफायती और हाई-स्पीड डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम:

i. विभिन्न डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) स्कीमों के अंतर्गत सेवा से वंचित गावों को मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जा रही है। केरल में विभिन्न डीबीएन वित्तपोषित मोबाइल परियोजनाओं के अंतर्गत 328 टावर की संस्थापना द्वारा 511 गाँवों को 4जी से कवर किया गया है।

ii. ट्राई ने दिनांक 02.08.2024 को टीएसपी द्वारा बेहतर सेवा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संशोधित क्यूओएस विनियम नामतः ''एक्सेस (वायरलाइन और वायरलेस) और ब्रॉडबैंड (वायरलाइन और वायरलेस) सेवा गुणवत्ता मानक सेवा विनियम, 2024 (2024 का 06)'' के अंतर्गत क्यूओएस पैरामीटर' के लिए बेंचमार्क को अधिक कड़ा बनाया है।

iii. दूरसंचार मार्ग का अधिकार (आरओडब्ल्यू) नियमों की अधिसूचना और पीएम गतिशक्ति संचार पोर्टल के शुभारंभ से आरओडब्ल्यू मंजूरी की प्रक्रिया आसान हो गई है और दूरसंचार अवसंरचना संस्थापना के लिए मंजूरी की प्रक्रिया में तेज़ी आई है।
